डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव** मुकाम ऋषभदेव

व ईजलास श्रवण सिंह राठौड आर.ए.एस.

अनवान

कोदरा पिता दीता मीणा, निवासी–घोडासर, तहसील–सेमारी, जिला–उदयपुर

.....वादी

बनाम

दिलीप पिता नाथु बरगोट, निवासी–रायणा, तहसील–ऋषभदेव, जिला–उदयपुर

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 03/2014 राजस्व वाद

1. यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद वादी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर ग्राम रायणा की जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 22 पर दर्ज आराजी नम्बर 380 रकबा 0.07 व आराजी नम्बर 1130/371 रकबा 0.08 कुल किता 2 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि में न तो प्रवेश करे, न वादी को बेदखल करे तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कदम नही उठावें। उक्त कृत्य प्रतिवादी किसी अन्य से भी नही करावें।
2. वादी एवं प्रतिवादी को पूर्व सूचना देकर यथा संभव उनकी उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर पक्षकारों के मध्य हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अनुसार विभाजन का प्रस्ताव 02 (दो) प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस (रंग सहित) तैयार कर पेश कर तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में माफिक घोषणा का इन्द्राज किया जावें। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

Scanned with CamScanner

वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध दखलन्दाजी (114) नही करें, न अन्य किसी से करावें।

पर्चा डिकी मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26 माह 07 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत

(श्रवण सिंह राठौड)

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अरजी		
वकील फीस बाबत			वकील फीस बाबत		
मीजान			मीजान		

Scanned with CamScanner